न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग 3508 - I - 16

संजय चौबे पिता सीताराम चौबे
निवासी कोर्ट रोड, 10 सिविल लाईन, सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.) — — — निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन — — — गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदक न्यायालय श्रीमान् जिलाधीश महोदय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1अ/63/2013–14 पक्षकार संजय बनाम म.प्र. शासन धारा 240/241 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 से पीड़ित होकर यह निगरानी याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है। निगरानी समय अवधि में प्रस्तुत की गयी है, जिसकी विवेचना धारा 5 समयावधि विधान के आवेदन में की गयी है।

(1) यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं. 11/1, 11/2, 13/1, 53, कुल रकवा 5.87 हे., ग्राम महका प.ह.नं. 55, रा.नि.मं. सहजपुर, तह. केसली, जिला सागर स्थित है, जिसमें आवेदक म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के प्रथम संशोधन अधिनियम 8.8.97 एवं द्वितीय संशोधन अधिनियम 17.10.2003 के अनुरूप सागौन वृक्षों की रोपणी बनाकर खेती करता है। उक्त रोपणी ग्राम महका की बस्ती से 4 कि.मी. अंदर स्थित है।

(2) यह कि, आवेदक उक्त रोपणी से 100 कि.मी. की दूरी पर सागर में अपने परिवार के साथ रहता है। बरसात के मौसम में ग्राम महका से रोपणी तक का पहुँच मार्ग पूरी तरह अवरूद्ध हो जाता है, जिसका लाभ उठाकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की नियत से कुछ सागौन वृक्षों को गिराकर नुकसान पहुँचाया गया था।

(3) यह कि, वनमंडलाधिकारी दक्षिण सागर को उक्त वृक्षों के संबंध में सूचना पत्र दिनांक 15.10.2013 **(संलग्नक–1)** दिया गया। उक्त आवेदन को वनमंडलाधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय तहसीलदार केसली को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः अपने पत्र दिनांक 17.10.13 **(संलग्नक–2)** के साथ भेजा गया।

(4) यह कि, सक्षम न्यायालय तहसीलदार केसली ने वनमंडलाधिकारी के पत्र दिनांक 17.10.14 के आधार पर संहिता 1959 की धारा 240/241 संशोधित नियम 2007 के तहत् रा.प्र.क्र. 436बी121, वर्ष 2013–14 दर्ज कर इश्तहार दिनांक 21.10.2013 **(संलग्नक–3)** एवं हल्का पटवारी एवं वनमंडलाधिकारी को पत्र दिनांक 21.10.2013

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3508–एक/16 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
17.10.16	यह निगरानी कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–63/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लेखित होने से उन्हें पुनः नहीं दोहराया जा रहा है। 3– मैंने आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपनी बहस निगरानी आधारों पर केन्द्रित करते हुये मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि तहसीलदार, केसली के समक्ष गिरे हुये वृक्षों के नियमानुसार निर्वर्तन हेतु प्रस्तुत वन मण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल सागर द्वारा प्रषित आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् प्रकरण कमांक 436/बी–121/2013–14 दर्ज कर पंचायत राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा गहन जांच करायी गयी। तहसीलदार, केसली द्वारा गठित संयुक्त जांच दल द्वारा आवेदक की भूमि में गिरे हुये वृक्षों का पूर्व में सीमांकन प्रकरण 9अ/12/1994–95 के तहत जारी प्रमांणित नक्शा फील्ड बुक के आधार पर सत्यापन किया एवं वृक्षों से प्राप्त काष्ठ की सत्यापित सूची निर्माण कर पंचनामा सहित प्रस्तुत की गयी, इसके अनुसार ही जांच करने एवं इश्तहार जारी करने के बाद कोई आपत्ति ना आने पर ही	

तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 22.11.2013 जारी कर वन मण्डलाधिकारी को पत्र दिनांक 22.11.2013 जारी किया गया। वन मण्डलाधिकारी द्वारा उक्त आदेश के पालन में काष्ठ क्रय आदेश दिनांक 23.11.2013 जारी किया गया, जिसका पालन करते हुये उपवनमण्डल अधिकारी देवरी ने संयुक्त जांच दल द्वारा सत्यापित काष्ठ की पुनः जांच कर उस पर शासकीय हेमर चिन्ह अंकित कर उक्त काष्ठ को शासकीय काष्ठागार परिवहन करने हेतु परिक्षेत्र अधिकारी, देवरी को सुपुर्द कर दिया एवं जिसकी सूचना उनके द्वारा वन मण्डलाधिकारी का अपने पत्र दिनांक 13.12.2013 से दी गयी, जो उचित एवं विधिसम्मत है। आवेदक का कहना है कि तहसीलदार के उक्त आदेश को पुनरावलोकन में लिये जाने की अनुमति के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी, केसली द्वारा आवेदक को ना तो कोई सूचना दी गयी, ना सुनवाई का अवसर दिया गया, और ना ही कोई जांच की गयी, जब कि आवेदक हितबद्व पक्षकार था। तहसीलदार केसली द्वारा भी आवेदक को सूचना या सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा दिनांक 06.01.2014 को एकपक्षीय आदेश पारित करते हुये आवेदक के पक्ष में पूर्व में पारित काष्ठ के नियमानुसार निर्वर्तन के आदेश दिनांक 22.11.2013 को निरस्त कर दिया, जो अवैधानिक है। कलेक्टर सागर द्वारा भी आवेदक द्वारा उठाये गये तर्कों की विवेचना उचित एवं विधि सम्मत् तरीके से नहीं की गयी है और ना ही उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों पर विचार किया गया है। अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने 1975 आर.एन. 313, 1996 आर.एन. 118, 1997 आर.एन. 127 उच्च न्यायालय 2000 आर.एन. 76, 2000 आर.एन. 161 उच्च न्यायालय 1997(1) मध्यप्रदेश वीकली नोट्स 125, उच्च

न्यायालय 2010 आर.एम. 124 उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतो का हवाला देते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के सभी आदेश निरस्त करने तथा तहसीलदार केसली के पूर्व आदेश दिनांक 22.11.2013 का स्थिर रखने एवं उनके अनुसार ही वन मण्डलाधिकारी को निर्वर्तन की शेष कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया है। अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित बताकर निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4— उभयपक्षों के तर्कों एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। **इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी केसली द्वारा तहसीलदार केसली के 22.11.2013 के आदेश को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर पुनरावलोकन में लिये जाने की जो अनुमति 03.01.2014 को दी गयी वह विधि सम्मत है या नहीं ?** संहिता की धारा 51(1) परन्तुक (एक—क) में स्पष्ट प्रावधान है कि "किसी भी आदेश को जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गयी हो"। आवेदक द्वारा उद्धरित न्याय दृष्टांत 2000 आर.एन. 76 में माननीय उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 परंतुक (एक) पुनरावलोकन के लिये मंडल तथा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रदान नहीं की जा सकती। न्याय दृष्टांत 1997(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 125 में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांत के अनुसार पुनरावलोकन के पूर्व विरोधी पक्षकार को सूचना देना आवश्यक है। इसी प्रकार न्याय

दृष्टांत 1996 आर.एन. 118, 1997, आर.एन. 127, 2010, आर.एन. 124 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुनरावलोकन की दशा में पक्षकारों की सुनवाई की ज़ाना आवश्यक है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को उसके पक्ष में पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 के पुनरावलोकन किये जाने की यांत्रिक अनुमति दिये जाने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी केसली द्वारा आवेदक को ना तो कोई सूचना पत्र दिया गया, ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है जो कि आवश्यक है। तहसीलदार केसली द्वारा भी पुनरावलोकन की कोई सूचना आवेदक को दिया जाना अभिलेख से स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्वांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी केसली द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति दिनांक 03.01.2014 तहसीलदार केसली द्वारा जारी पुनरावलोकन आदेश दिनांक 06.01.2014 तथा उपरोक्त आदेशों के आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2014 एवं 14.11.2015 विधि सम्मत नहीं होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

परिणामतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित सभी आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार केसली द्वारा प्रकरण 436बी/121/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 विधि सम्मत होने से स्थिर रखा जाता है। वन मण्डलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल सागर को तहसीलदार केसली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 एवं उसके पालन में उनके स्वंय के द्वारा जारी काष्ठ कय आदेश दिनांक 23.11.2013 के अनुसार प्रकरण में निर्वर्तन की शेष कार्यवाही

अर्थात् आवेदक की विवादित सागौन काष्ठ के 854 इमारती नगों एवं 30 जलाऊ फड़ियों के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करें। निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस किया जाये, उभयपक्ष सूचित हों, इस न्यायालय का अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड किया जाये।

सदस्य